इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.
An ISO 9001 : 2015 : 2015, 22000 : 2005 & 14001 Certified Organisation

GSTIN - 23AAAJI0016N1ZK

शुद्धता का संकल्प

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर - 453 771 (म.प्र.) Chanda Talawali, Manglia, INDORE - 453771 (M.P.)

दूरभाष / Phone : 0731 - 2802535, 2811553, 2811162, 2811132

फैक्स / Fax : 0731-2811559 ई-मेल / E-mail : sanchimsids@gmail.com

Toll Free No. 18002332535

क्रं./ 3572 /प्रशा./इसदुसं/2022 इन्दौर, दिनांक 28 JUL 2022

//AMENDMENT – II //

TENDER ID -2022_MPCDF_211497_1

अनिवार्य शर्त क्रं. 15.15 को विलोपित किया जाकर इस शर्त को निम्नानुसार पढा एवं माना जावें –

ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिको को प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान नियमानुसार जमा करना होगा। प्रत्येक माह का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. आगामी माह की निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से श्रमिक ठेकेदार द्वारा संबंधित विभागो में जमा किया जावेगा, तथा समस्त श्रमिको का वेतन पत्रक तथा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. का जमा चालान की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में आगामी माह की दिनांक 25 तक समस्त वेतन पत्रक ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के चालान ठेकेदार द्वारा अपने यूजर आई–डी, पासवर्ड के साथ संघ में प्रस्तुत करना होगें, जिसे संघ द्वारा ठेकेदार की ओर से जमा कर ठेकेदार के देयको से समायोजन कर लिया जावेगा। तत्पश्चात् अनुबंध की शेष अवधि में संघ द्वारा प्रतिमाह निर्धारित तिथि तक उपरोक्त चालानो को ठेकेदार की ओर से जमा किया जावेगा। इन दस्तावेजो में कोई त्रुटि होती है, तब इसकी जवाबदारी पूर्णतः ठेकेदार की होगी। जिस हेतु वेतन पत्रक, ई.सी.आर., ई.एस.आई. चालान तथा आवश्यक डाटा ठेकेदार को आवश्यक रूप से समयावधि में संघ में जमा करना होगा, जमा न करने पर ठेकेदार को रू. 1.00 लाख प्रतिमाह की आर्थिक शास्ती अधिरोपित होगी, ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति होने पर काली सूची में दर्ज किया जाकर सुरक्षानिधि को राजसात कर ठेका निरस्त का अधिकार संघ को होगा।

ई.पी.एफ., ई.एस.आई., बैंक एवं अन्य की सूची इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर हेतु पूर्णतः पृथक देना होगी, इसमें ठेकेदार के अन्य संस्था में कार्यरत् कर्मचारी दर्शित नही होना चाहिए, अन्यथा देयको का भुगतान नही किया जावेगा। जी.एस.टी., ई.पी.एफ., ई.एस. आई. के चालानो के लिए संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि ही मान्य की जाकर उस माह का समस्त श्रमिको का वेतन पत्रक तथा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. के जमा चालान की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अर्थात् प्रस्तुत किए गए देयको के अतिरिक्त उसके पूर्व के महीनों के लिए ई.पी.एफ., ई.एस.आई., की पूर्ण राशि के जमा किये गये चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही देयको को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नही होगी। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति केवल चालान में जमा की गई राशि के बराबर ही होगा।

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)